

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....03/02/2026

सं० संख्या-08/आ०-05-58/2012...1.6.6...../निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश
ज्ञापांक 865 दिनांक 12.09.2016 के द्वारा संसूचित दण्डादेश के विरुद्ध श्री हीरालाल सिंह,
तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर-सम्प्रति-सेवानिवृत्त के द्वारा अपील
अभ्यावेदन समर्पित है।

श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन में रखे गये पक्ष पर उनके मामले की सुनवाई दिनांक
11.02.2026 को अपराह्न 04:00 बजे सचिव, शिक्षा विभाग के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की
गई है।

(उर्मिला कुमारी)

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/आ०-05-58/2012...1.6.6.....

पटना, दिनांक03/02/2026

प्रतिलिपि:-सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निदेशक, प्राथमिक
शिक्षा के आप्त सचिव/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर/श्री हीरालाल सिंह, तत्कालीन
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर-सम्प्रति-सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-पनवासो
इन्क्लेव, अशोकपुरी, खाजपुरा, बेली रोड, पटना-800014, मो० नं०-9384478654 को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र श्री
हीरालाल सिंह को तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया
जाय।

3. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा